



Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:41595

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आवेदन अं./धा. 482 सं. - 4947 वर्ष 2026**

मुख्तियार उर्फ गुरु उर्फ अली मुख्तार

.... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, एवं
एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : कृष्ण कुमार तिवारी

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : मु.शा.अधि.

न्यायालय सं. - 12**माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा**

1. अधिवक्ता श्री कौशल कुमार ने प्रथम सूचनादाता/प्रत्युत्तरदाता सं. 2 की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है।

2. याची के विद्वान् अधिवक्ता, राज्य प्रत्युत्तरदाता सं. 1 के लिए विद्वान् अ.शा.अधि., प्रत्युत्तरदाता सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता श्री कौशल कुमार को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

3. धारा 482, दं.प्र.सं. (अब भा.ना.सु.सं. की धारा 528) के अधीन वर्तमान याचिका के माध्यम से, पक्षकारों के बीच किए गए समझौते के आधार पर, प्र.सू.रि./मुकदमा अपराध सं. 79 वर्ष 2020, अं.धा. धारा 354(क), 452, भा.दं.सं. और धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं 3(2)(वक), अनु.जा./अनु.ज.जा. अधिनियम, पुलिस थाना कोठी, जिला बाराबंकी, से उत्पन्न विद्वान्

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विशेष न्यायाधीश, अनु.जा./अनु.ज.जा. अधिनियम, बाराबंकी के समक्ष लंबित स.प. सं. 521 वर्ष 2020, राज्य बनाम मुख्तियार उर्फ गुरु की संपूर्ण कार्यवाही अपास्त करने की प्रार्थना की गई है।

4. याची के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि उन्होंने पहले इसी मामले में आवेदन अं./धा. 482 सं. 2541/2026 दाखिल की थी। इस न्यायालय ने 25.03.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था, जो निम्नवत् उद्धृत है:

"1. अधिवक्ता श्री राम कृष्ण मिश्रा ने विरोधी पक्षकार सं. 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल करके उपस्थिति प्रस्तुत की है और इसे अभिलेख पर लिया गया है।

2. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता, विरोधी पक्षकार सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्ण मिश्रा और राज्य के विद्वान् अ.शा.अधि. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

3. प्रस्तुत आवेदन, आरोप-पत्र सं. 153/2020, दिनांक 16.05.2020, अंतर्गत धारा 354(क), 452, भा.दं.सं. और धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं 3(2)(vक), अनु.जा./अनु.ज.जा. अधिनियम, पुलिस थाना कोठी, जिला बाराबंकी, और विद्वान् विशेष न्यायाधीश, अनु.जा./अनु.ज.जा. अधिनियम, बाराबंकी द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 15.07.2020, और प्र.सू.रि./ मुकदमा अपराध सं. 79/2020, अंतर्गत धारा 147, 308, 452, 323, 504, 506, भा.दं.सं., पुलिस थाना-कोठी, जिला बाराबंकी से उत्पन्न, विद्वान् विशेष न्यायाधीश, अनु.जा./अनु.ज.जा. अधिनियम, बाराबंकी के न्यायालय में लंबित वाद सं. 521/2020, 'राज्य बनाम मुख्तियार उर्फ गुरु' की संपूर्ण कार्यवाही, समझौता दिनांक 09.03.2026 की दृष्टि से अपास्त करने के लिए दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। वह अग्रतर कहते हैं कि कुछ गलतफहमी के कारण आवेदक के विरुद्ध प्रस्तुत प्र.सू.रि. दर्ज की गई है और बाद में, पक्षकारों ने आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझा लिया है। समझौतानविलेख 09.03.2026 को लिखित रूप में तैयार किया गया था, जिसे प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्नक सं. 4 के रूप में संलग्न किया गया है। वह अग्रतर कहते हैं कि अब पक्षकारों के बीच एक-दूसरे के प्रति कोई शिकायत नहीं है और आवेदक के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही निरर्थक कार्य है क्योंकि विचारण का कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है और यह आवेदक को परेशान करने के समान है, और इसलिए आवेदक के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही अपास्त की जा सकती है।

5. दूसरी ओर, विरोधी पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है और कहा है कि पक्षकारों ने समझौतानविलेख के माध्यम से अपना विवाद आपसी-सहमति से सुलझा लिया है और विरोधी पक्षकारों की अब वर्तमान आवेदक से अग्रतर कोई शिकायत नहीं है, और आवेदक के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अ.शा.अधि. को उपर्युक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. अब, क्या पक्षकारों ने वास्तव में मामले में समझौता कर लिया है या नहीं, यह अवर न्यायालय द्वारा सर्वोत्तम रीति से सुनिश्चित किया जा सकता है, इस प्रकार समझौते को न्यायालय के समक्ष पक्षकारों की उपस्थिति में सम्यक् रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।

8. तदनुसार, इस आवेदन संबंधित न्यायालय को इस निदेश के साथ निस्तारण किया जाता है कि यदि उसके समक्ष ऐसा कोई समझौता दाखिल किया जाता है, तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्, समझौते का सत्यापन करेगा। यदि उपर्युक्त समझौते का सत्यापन हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और समझौते को अभिलेख का भाग बनाया जाएगा।

9. ऐसी स्थिति में न्यायालय पक्षकारों को रिपोर्ट और समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा और आवेदक कार्यवाही अपास्त करवाने के लिए इस न्यायालय में पुनः आने के स्वतंत्र हरेगा।

10. तीन महीने की अवधि के लिए, आरोप पत्र सं. 153/2020, दिनांक 16.05.2020, अंतर्गत धारा 354(क), 452 भा.दं.सं., और धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं 3(2)(वक) अनु.जा./अनु.ज.जा. अधिनियम, पुलिस थाना कोठी, जिला बाराबंकी के अनुसरण में आरंभ की गई कार्यवाहियां, और विशेष न्यायाधीश अनु.जा./अनु.ज.जा. अधिनियम, बाराबंकी द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 15.07.2020, प्र.सू.रि./मुकदमा अपराध सं. 79/2020, अंतर्गत धारा 147, 308, 452, 323, 504, 506, भा.दं.सं., पुलिस थाना कोठी, जिला बाराबंकी से उत्पन्न, वाद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सं. 521/2020, 'स्टेट बनाम मुख्तियार उर्फ गुरु' की संपूर्ण कार्यवाहियां, आवेदक के संबंध में स्थगित रहेंगी।

11. विचारण न्यायालय को इस तथ्य की परीक्षा करने का निदेश दिया जाता है कि क्या सभी पक्षकार जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था समझौते में पक्षकार हैं, और इस संबंध में, वह सत्यापन आदेश के साथ एक रिपोर्ट भी भेजेगा।

12. कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि वे मूल समझौता-विलेख की, (यदि कोई है) फोटोप्रति लेने के बाद, उसे आवेदक के अधिवक्ता को वापस कर दें।"

5. इसके बाद उन्होंने निवेदित किया है कि उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 25.03.2026 के अनुसरण में, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं और वर्तमान मामले में समझौता प्रस्तुत किया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा 09.03.2026 को पक्षकारों की उपस्थिति में सम्यक् रूप से सत्यापित किया गया था। समझौता-विलेख की प्रतियां, साथ में समझौते के सत्यापन आदेश की प्रति शपथपत्र के संलग्नक सं. 2 एवं 3 के रूप में दाखिल की गई है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित दांडिक कार्यवाहियां समझौते के निबंधनों में अपास्त करने की कृपा की जाए।

6. प्रत्युत्तरदाता सं. 2 के विद्वान् अधिवक्ता ने याची के विद्वान् अधिवक्ता के निवेदनों से सहमति अभिव्यक्त की है और निवेदित किया है कि यदि वर्तमान मामले की कार्यवाहियां समझौते के निबंधनों में अपास्त की जाती हैं, तो प्रत्युत्तरदाता सं. 2 को कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपर्युक्त की दृष्टि से, प्र.सू.रि./मुकदमा अपराध सं. 79 वर्ष 2020, अंतर्गत धारा 354(क), 452, भा.दं.सं., और धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3(2)(वक), अनु.जा./अनु.ज.जा. अधिनियम, पुलिस थाना कोठी, जिला बाराबंकी से उत्पन्न, विद्वान् विशेष न्यायाधीश, अनु.जा./अनु.ज.जा. अधिनियम, बाराबंकी के समक्ष लंबित, स.प. सं. 521 वर्ष 2020, राज्य बनाम मुख्तियार उर्फ गुरु की संपूर्ण दांडिक कार्यवाहियां, समझौते के, जिसे विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किया गया है, निबंधनों में अपास्त की जाती हैं।
8. तदनुसार याचिका अनुज्ञात की जाती है।
9. इस आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को सूचना और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा)

जून 19, 2026
केआर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।